

आ.क.वि.-1

सहज भारतीय व्यक्ति आयकर विवरणी

निर्धारण वर्ष 2012-13

क.1 प्रथम नाम

क.2 मध्य नाम

क.3 अंतिम नाम

क.4 स्थायी लेखा संख्या

क.5 लिंग

क.6 जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष)

क.7 आय-कर वार्ड/सर्किल

 पुरुष स्त्री

क.8 फ्लैट / द्वार / भवन

क.9 मार्ग/गली

क.10 क्षेत्र/अवस्थान

क.11 नगर/ शहर/ जिला

क.12 राज्य

क.13 पिन कोड

क.14 ई मेल पता

क.15 निवास/कार्यालय का एस0टी0डी0 कोड सहित फोन नं0

क.16 मोबाइल नं0

क.17 केवल एक भरे, यदि आप संबंधित है ▶

क.18 केवल एक भरे ▶  प्रतिदेय कर ▶  संदेय कर ▶  शून्य कर शेषक.19 केवल एक भरे ▶  निवासी ▶  अनिवासी ▶  निवासी किंतु मामूली तौर पर निवासी नहींक.20 केवल एक भरे : फाइल की गई ▶  नियत तारीख से पूर्व - 139(1) ▶  नियत तारीख के पश्चात् - 139(4) ▶  पुनरीक्षित विवरणी 139(5)या सूचना के उत्तर में ▶  142 (1)▶  148▶  153क/153ग

क.21 यदि पुनरीक्षित है,

▶

और

मूल विवरणी की रसीद सं0

(तिथि/ मास/ वर्ष)

मूल विवरणी फाइल करने की तारीख

भाग ख - सकल कुल आय

केवल संपूर्ण रूप में

ख 1 वेतन/पेंशन से आय

ख 1

टिप्पण-पृष्ठ 2 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस1" को भरना सुनिश्चित करें।

▼ यदि हानि दर्शित कर रहे हैं तो बाएं ओर कोष्ठक में नकारात्मक चिन्ह लगाएं

ख 2 एकल गृह संपत्ति से आय

ख 2

( )

ख 3 अन्य स्रोतों से आय

ख 3

( )

टिप्पण-पृष्ठ 2 पर दी गई "अनुसूची टीडीएस2" को भरना सुनिश्चित करें।

ख 4 सकल कुल आय (ख 1+ ख 2+ ख 3)

ख 4

( )

भाग ग -

कटौतियां और कराधेय कुल आय ("आय-कर अधिनियम" के अनुसार कटौतियों की रकम संबंधी सीमाओं के लिए अनुदेशों को देखिए)

ग 1

▶ ग1 80 ग

▶ ग2 80 गग

▶ ग3 80 गगघ

से

▶ ग4 80 गगघ

▶ ग5 80 घ

▶ ग6 80 घघ

ग13

▶ ग7 80 घघख

▶ ग8 80 ङ

▶ ग9 80 छ

▶ ग10 80 छछ

▶ ग11 80 छछक

▶ ग12 80 छछग

▶ ग13 80 प

ग 14 कुल कटौतियां (मद ग1 से ग13 को जोड़ें)

▶ ग14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ग 15 कराधेय कुल आय (ख 4 - ग14)

▶ ग15 ( )

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

यहा प्राप्ति नं० की स्टंप लगाए

प्राप्तिकर्ता पदधारी की सुहर, तारीख और नाम

स्थायी लेखा संख्या

2012-13 आ.क.वि.-1, पृष्ठ 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

भाग घ - कर संगणना और कर प्रास्थिति

कुल आय (ग15) पर संदेय कर

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

कुल कर और उपकर (घ1 + घ 2)

घ1 से ▶ घ 1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

घ4 से ▶ घ4

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ5

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

घ7 से ▶ घ7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ8

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ9

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

घ10 से ▶ घ10

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ11

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ12

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

संदेय कर (घ8 - घ12, यदि घ8 > घ12 है)

प्रतिदाय (घ12 - घ8, यदि घ12 > घ8 है)

संदत कुल अग्रिम कर

▶ घ13

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ14

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ9

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

बैंक खाता ब्यौरे (सभी मामलों में आज्ञापक, चाहे प्रतिदाय शोध्य है या नहीं)

▶ घ15 खाता सं०

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

▶ घ17 खाते का प्रकार ▶  चालू ▶  बचत ▶ घ18 केवल एक भरे : प्रतिदाय ▶  बैंक द्वारा, या ▶  आपके बैंक खाते में सीधे जमा करके

▶ घ19 केवल रिपोर्टिंग प्रयोजन के लिए छूट प्राप्त आय ▶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सत्यापन

मैं,.....जो.....का पुत्र/पुत्री हूँ, सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं और यह कि उसमें दर्शित कुल आय की रकम और अन्य विशिष्टियां सत्यतः कथित की गई हैं और निर्धारण वर्ष 2012-2013 से सुसंगत पूर्व वर्ष की आय-कर के लिए प्रभार्य आय के संबंध में आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार हैं।

स्थान 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 तारीख 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 यहां हस्ताक्षर करें → 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

यदि विवरणी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी.आर.पी.) द्वारा तैयार की गई है तो निम्नानुसार और ब्यौरा दें:

कर विवरणी तैयारकर्ता का नाम	कर विवरणी तैयारकर्ता की पहचान सं. (10 अंकीय)	कर विवरणी तैयारकर्ता को संदत्त की जाने वाली राशि	कर विवरणी तैयारकर्ता के हस्ताक्षर

अनुसूची-आयकर आय-कर के अग्रिम कर और स्वनिर्धारण कर संदाय के ब्यौरे

	बीएसआर कोड (स्तंभ i)	निक्षेप की तारीख (स्तंभ ii) (तिथि/मास/वर्ष)	चालान सं. (स्तंभ iii)	संदत कर (स्तंभ iv)
आर 1				
आर 2				
आर 3				
आर 4				
आर 5				

टिप्पण ▶

- (1) घ9 और घ 10 में अग्रिम कर और स्व निर्धारण कर के योग प्रविष्ट करें।  
(2) यदि आप अनुसूची आयकर के भीतर नहीं भर सकते तो अनुपूरक अनुसूची आयकर में जारी रखें।

अनुसूची-स्रोत पर कटौती किया गया कर 1 वेतन से स्रोत पर कटौती किए गए कर के ब्यौरे [नियोजक (नियोजकों) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16 के अनुसार]

	कर कटौती खाता संख्या (टैन) (स्तंभ i)	नियोजक का नाम (स्तंभ ii)	वेतन के अधीन आय (स्तंभ iii)	कटौती किया गया कुल कर (स्तंभ iv)
एस 1				
एस 2				







